न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—135 / 2022 (2022 / 343) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. किरण पुत्री चतर्भुज ब्राहम्ण निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देउदेवी पत्नि चतर्भुज ब्राहम्ण निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायणलाल पिता चतर्भुज ब्राहम्ण ना.बा.जरिये माता देउदेवी नि0 जोगरास तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन पुत्र लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकर पुत्र लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गणी पुत्री लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मुली पुत्री लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चन्द्री पुत्री लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सीता पुत्री लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मोहन पुत्र हरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सन्तोक पुत्री हरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. नारायणसिंह पुत्र कालुसिंह राजूपत निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नाहरी पचांयत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.11.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम जोगरास पटवार हल्का नाहरी तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1460 रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 86 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों [illegible] के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी [illegible] प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को क[illegible]बा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी [illegible] जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 10.09.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 16:00:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 02.09.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 10 के विरूद्व प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जोगरास पटवार हल्का नाहरी तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1460 रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 86 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/—रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 16:00:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–135 / 2022 (2022 / 343) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. किरण पुत्री चतर्भुज ब्राहम्ण निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देउदेवी पत्नि चतर्भुज ब्राहम्ण निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायणलाल पिता चतर्भुज ब्राहम्ण ना.बा.जरिये माता देउदेवी नि0 जोगरास तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन पुत्र लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकर पुत्र लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गणी पुत्री लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मुली पुत्री लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चन्द्री पुत्री लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सीता पुत्री लालुराम भील निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मोहन पुत्र हरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सन्तोक पुत्री हरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. नारायणसिंह पुत्र कालुसिंह राजूपत निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नाहरी पचांयत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 23.11.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम जोगरास पटवार हल्का नाहरी तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1460 रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 86 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500 / –रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000 / –रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए मय शामलात पक्षकारान के करायी जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 16:00:42 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर दौराने [illegible] आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जा [illegible] दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय [illegible] मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), रायपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी [illegible]